

पत्रांक-श्रम क०सं०-59/2025-355
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 कामगार का स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-194, दिनांक-17.02.2026 के क्रम संख्या-15 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु क्रम संख्या-15 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का I.F.S.C गलत रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-194, दिनांक-17.02.2026 के क्रम संख्या-15 को रद्द किया जाता है।

देवेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख, वैशाली के पत्रांक-शून्य, दिनांक-20.06.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० जगन पासवान, 49, सरयुग पासवान अनुसूचित जाति	सोम देवी (पत्नी)	91 20.01.2026	ग्राम-जफरावाद, पो०+प्र०+थाना-देसरी, जिला-वैशाली 9262716412	10000 51030 19627 8	UBGB PUNB0 MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल:-रू० 50,000/-
(पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-194, दिनांक-17.02.2026 के क्रम संख्या-15 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
 (रोहित कुमार)
 मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
 (राजेश भारती)
 कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-59/2025-355

पटना, दिनांक :- १०.०२/०३/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक



कार्यकारी निदेशक
(राज्य शाखा)

Rajesh Chandra

मुख्य वित्त प्रशासक
(राज्य शाखा)
20/03/2016

कल्याण विभाग को सूचनाएं प्रेषित है कि उक्त लेख को लक्ष्मीकान्त राव (पदा) 50,000/- का अंतरण के पश्चात् लेखा संचालन करना सुनिश्चित करने/अभिलेख, कल्याण/उप अभियंता, वैशाली को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित/आर्डर/मौजूदा, अम संसाधन एवं प्रवर्तन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अम संसाधन एवं प्रवर्तन विभाग को सूचनाएं प्रेषित।